कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग, अयोध्या

पत्रांक 4537 /14–4 दिनांक:अयोध्या: 23/06/2023

सेवा में,

वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक,
सा0वा0 सरयू वृत्त,
अयोध्या।

विषय:– अयोध्या बाईपास (उत्तरी एवं दक्षिणा बाईपास) 4/6 लेन के निर्माण में फैजाबाद वन प्रभाग में प्रभावित 1.586 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एव बाधक 83 वृक्षों के पातन, बस्ती वन प्रभाग में प्रभावित 0.513 हे0 संरक्षित वन के गैरवानिकी प्रयोग एव बाधक 185 वृक्षों के पातन तथा गोण्डा वन प्रभाग में प्रभावित 0.381 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 319 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:– उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/303/2022/एफ.सी दिनांक 12.12..2022, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ का पत्रांक 2062/11–सी–FP/UP/Road/151936/2022, लखनऊ दिनांक 19.12.2022 व पत्रांक 3438/11–सी–FP/UP/Road/151936/2022, लखनऊ दिनांक 05.01.2023 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 1870/14–10 दिनांक 20.10.2022 तथा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली का पत्रांक भा0रा0रा0प्रा0/प0का0इ0–रायबरेली/अयोध्या बाईपास/27724 दि0 21.06.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र जो अति0 मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित एवं अन्य सहित आपको एवं अधोहस्ताक्षरी को पृष्ठांकित है, में लगायी गयी आपत्तियों/कमियों से सम्बन्धित अभिलेख प्रयोक्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

अतः लगायी गयी इस कार्यालय से सम्बन्धित आपत्तियों/कमियों का बिन्दुवार निराकरण कर ऑनलाइन व हार्डकॉपी में संशोधित कर वांछित सूचना एवं प्रयोक्ता विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया आपत्तियों/कमियों का बिन्दुवार निराकरण 04 प्रतियों में संलग्नकर Parivesh Portal पर ऑनलाइन अपलोड कर संस्तुति सहित निम्न प्रकार आपकी सेवा में प्रेषित है:–

क0 सं0	कमियों/अभिलेख	निराकरण
1	2	3
1	भारत सरकार की आपत्ति सं0–01 के निराकरण के क्रम में प्रस्तावित वनभूमि की संशोधित के0एम0एल0 फाइल ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड नही की गयी है तथा प्रस्तावित वनभूमि की संशोधित के0एम0एल0	प्रयोक्ता एजेन्सी के सन्दर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रस्तावित भूमि की के0एम0फाइल ऑनलाइन पार्ट–1 में पुनः अपलोड कर दी गयी है।

200

	फाइल पेनड्राइव में अपलोड कर संलग्न की गयी है।	
2	भारत सरकार की आपत्ति सं0–03 के निराकरण के कम में पुनः प्रस्तावित CA स्थल की पठनीय SOI Toposheet ऑनलाइन पार्ट–1 में अपलोड नही की गयी है।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पेन ड्राइव में CA स्थल की SOI Toposheet उपलब्ध करायी गयी है जिसको पुनः ऑनलाइन पार्ट–2 में अपलोड कर दिया गया है।
3	भारत सरकार की आपत्ति सं0–06 के निराकरण के कम में आपके उत्तर में Not Applicable लिखा है, जोकि त्रुटिपूर्ण है। अतः भारत सरकार के निर्देशानुसार सही निराकरण कर संलग्न करें।	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि उक्त निर्माण कार्य से किसी प्रकार का मक उत्सर्जन नही किया जायेगा। यदि किसी प्रकार का निर्माण मलबा उत्पन्न होता है तो उसका प्रयोग उक्त कार्य में ही ले लिया जायेगा। अतः किसी प्रकार के मक डिस्पोजल प्लान की आवश्यकत नही है। (छायाप्रति संलग्न)
4	प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, अयोध्या नोडल अधिकारी नामित है। अतः तीनों वन प्रभागों का समेकित निराकरण संलग्न कर प्रेषित करें।	गोण्डा एवं बस्ती वन प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि गोण्डा एवं बस्ती वन प्रभाग के संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में इंगित कमियों का निराकरण प्रेषित किया जा चुका है।(छायाप्रति संलग्न)

अतः समस्त बिन्दुओं की कमियों/आपत्तियों का बिन्दुवार निराकराण कर 4–प्रतियों में संलग्न कर Parivesh Portal पर ऑनलाइन अपलोड कर आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।

पत्रांक 4537 / उक्तदिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित की सेवा में सन्दर्भित पत्र के कम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार केन्द्रीय भवन सेक्टर–एच अलीगंज, लखनऊ।
2. मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी उ0प्र0 लखनऊ।
3. परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार), परियोजना कार्यान्वयन इकाई, रायबरेली।

NHAI कि प्रति प्राप्त की
23/06/2023

(सितान्शु पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी
वन प्रभाग, अयोध्या।